अध्याय-III : वाहनों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग की प्राप्तियां, केन्द्रीय एवं राज्य मोटर वाहन अधिनियमों के प्रावधानों व इसके अन्तर्गत बनाये नियमों से विनियमित होती है एवं परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। पथकर और विशेष पथकर से प्राप्तियां, राजस्थान राज्य मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं से विनियमित होती है।

परिवहन विभाग के प्रमुख परिवहन आयुक्त होते हैं और उनकी सहायता के लिये पांच अतिरिक्त परिवहन आयुक्त तथा 12 उपायुक्त होते हैं। सम्पूर्ण राज्य 12 क्षेत्रों में विभाजित है जिनमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं पदेन सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, कार्यालय प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 51 वाहन पंजीयन एवं कराधान कार्यालय हैं जिनमें जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय प्रमुख होते हैं।

3.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के अधीन एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है। इस समूह को कर निर्धारण प्रकरणों की मापक जांच, अनुमोदित योजना एवं परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करनी होती है ताकि नियमों व अधिनियमों व समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना को सुनिश्चित किया जा सके।

गत पांच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु कुल बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां	कमी प्रतिशत में
2012-13	-	43	43	43	-	-
2013-14	-	43	43	39	4	9.30
2014-15	4	51	55	45	10	18.18
2015-16	10	57	67	66	1	1.50
2016-17	1	57	58	50	8	13.79

स्रोतः सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रेषित सूचनाओं के अनुसार।

यहां पर वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा किये जाने में कमी का प्रतिशत 1.50 से 18.18 के मध्य रहा। विभाग ने अवगत कराया कि रिक्त पदों के कारण आन्तरिक लेखापरीक्षा किये जाने में कमी रही।

यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 के अन्त में 6,580 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	1993-94 से 2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	योग
अनुच्छेद	2,183	642	570	730	1,237	1,218	**6,580**

स्रोतः सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रेषित सूचनाओं के अनुसार।

इन 6,580 अनुच्छेदों में से 2,183 अनुच्छेद वर्ष 2012-13 की अवधि से पूर्व के थे, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि बकाया अनुच्छेदों पर विभाग को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेषतः पांच वर्ष से अधिक अवधि के बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण पर अधिक विलम्ब होने पर वसूली की सम्भावना कम हो जायेगी ।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा उठाये गये बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे के लिये समुचित निर्देश जारी करने चाहिए ।

3.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 के दौरान 28 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में लेखापरीक्षा को 11,007 प्रकरणों में सन्निहित ₹ 51.00 करोड़ की अनियमितताओं का पता चला । ये प्रकरण मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	'राजस्थान में उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट योजना का क्रियान्वयन' पर एक अनुच्छेद	1	-
2	कर, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन शुल्क, आदि की अवसूली/कम वसूली	10,023	41.71
3	मोटर वाहन कर/विशेष पथकर की संगणना, कर का अनिर्धारण/ निर्धारण कम करना	850	9.25
4	अन्य अनियमिततायें अ- राजस्व से सम्बन्धित ब- व्यय से सम्बन्धित	 69 64	 0.01 0.03
योग		**11,007**	**51.00**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 5,259 प्रकरणों में ₹ 45.51 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 4.21 करोड़ के 891 प्रकरण वर्ष 2016-17 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे । वर्ष 2016-17 के दौरान, 1,876 प्रकरणों में ₹ 33.97 करोड़ की राशि वसूल की गयी, जिसमें से ₹ 0.43 करोड़ के 101 प्रकरण वर्ष 2016-17 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे ।

'राजस्थान में उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट योजना का क्रियान्वयन' पर एक अनुच्छेद तथा कुछ निदर्शी प्रकरण जिनमें ₹ 35.80 करोड़ सन्निहित हैं, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है ।

3.4 राजस्थान में उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट योजना का क्रियान्वयन

3.4.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति/वाहन स्वामी मोटर वाहन को किसी भी स्थान पर तब तक संचालन की अनुमति नहीं दे सकता, जब तक कि वो अधिनियम के अनुसार पंजीकृत न हो। अधिनियम की धारा 41 में यह प्रावधान है कि पंजीकरण प्राधिकारी वाहन को एक विशिष्ट चिन्ह आवंटित करेगा जिसे पंजीकरण चिन्ह कहा जाता है। इसमें अक्षरों का एक समूह होता है जिसके पश्चात अंक होते है जो कि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर राज्यों को आवंटित किये जाते हैं। यह पंजीयन चिन्ह वाहनों पर उस रूप में और उस तरीके से दर्शाये और प्रदर्शित किये जाते हैं जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 50, जो कि मोटर वाहनों के पंजीकरण की विशिष्टियों, रूप और तरीके का निर्धारण करता है को संशोधित किया। यह संशोधन दिनांक 22 अगस्त 2001 को राजपत्र में प्रकाशित 'कर मोटर वाहन (नई उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेटस) (एचएसआरपी) आदेश, 2001' के माध्यम से किया गया था। आदेश के अनुसार नये पंजीकृत वाहनों के मामलों में एचएसआरपी की आपूर्ति और लगाने का कार्य 28 सितम्बर 2001 से और पूर्व पंजीकृत वाहनों के मामले में आदेश जारी करने की दिनांक यथा 22 अगस्त 2001 से दो वर्षों में प्रारम्भ किया जाना था।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न राज्यों द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका को निर्णित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समस्त राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये गए (7 फरवरी 2012) कि एचएसआरपी लगाने की योजना[1] का पूर्ण क्रियान्वयन नवीन वाहनों के सम्बन्ध में 30 अप्रैल 2012 तथा पुराने वाहनों के लिए 15 जून 2012 तक किया जावें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों में समयबद्ध तरीके से एचएसआरपी योजना को कड़ाई से लागू करने के निर्देश केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को दिये (जुलाई 2016)।

राजस्थान राज्य में योजना के क्रियान्वयन हेतु एचएसआरपी को जोड़ने, स्थापित करने, प्रौद्योगिकी प्राप्त करने, प्लेटस की डिजाईन, विकास, उत्पादन, एम्बोस करने, लगाने, वितरित करने तथा सम्पूर्ण आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु परिवहन आयुक्त, राजस्थान सरकार और मैसर्स रियल मैजोन (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड के मध्य अनुबन्ध का निष्पादन हुआ (16 मई 2012)। राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 28 जून 2012 द्वारा मैसर्स रियल मैजोन (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड को सम्पूर्ण राज्य के सभी नवीन और विद्यमान वाहनों हेतु एचएसआरपी की आपूर्ति और लगाने के लिए, समझौते पर हस्ताक्षर की दिनांक से पांच वर्षों की अवधि और परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमत्य अन्य विस्तारित अवधि, यदि हो, के लिए प्राधिकृत किया। समझौता 15 मई 2017 को समाप्त हो गया। संविदाकार को

[1] मोटर वाहन (नई उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट) योजना।

31 अगस्त 2017 की अवधि तक दो बार (31 मई और 14 अगस्त 2017) विस्तार प्रदान किया गया। अनुबन्ध के निष्पादन के सम्बन्ध में नियम और शर्तें निविदा दस्तावेज में वर्णित थी।

3.4.2 उद्देश्य

नई योजना का उद्देश्य जन सुरक्षा, सुरक्षा और वाहनों की चोरी की बढ़ती हुई आशंका और उनके आपराधिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उपयोग पर नियंत्रण करना था। योजना के क्रियान्वयन में परिवहन विभाग की दक्षता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की लेखापरीक्षा की गई।

3.4.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

राजस्थान राज्य में सात प्रशासनिक सम्भाग हैं जिनमें 52 परिवहन इकाइयां है। इनमें से हमने आठ इकाइयों[2] (जयपुर सम्भाग से दो और शेष छः सम्भाग में से एक-एक) और परिवहन आयुक्त कार्यालय का चयन किया, जिसमें अप्रैल 2012 से मार्च 2016 तक की अवधि के लेखाओं की लेखापरीक्षा की गयी सम्मिलित है। इन आठ इकाइयों में से दो इकाइयों[3] की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी क्योंकि लेखापरीक्षा की अवधि में वाहन सॉफ्टवेयर के अपडेशन का कार्य किया जा रहा था।

मोटर वाहन डीलरों[4] और संविदाकार द्वारा प्लेटस की एम्बोसिंग और एफिक्सेशन (उभारने और लगाने) के लिए स्थापित एचएसआरपी स्टेशनों का संयुक्त निरीक्षण लेखापरीक्षा द्वारा सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों के कार्मिकों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि योजना का क्रियान्वयन इस सम्बन्ध में बनाये गए नियमों के अनुसार किया गया।

3.4.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निविदा दस्तावेज, अनुबन्ध, केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951, राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990, मोटर वाहन (नई एचएसआरपी) आदेश, 2001, परिवहन विभाग राजस्थान सरकार के उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेटस ऑपरेशनल मैन्युअल और राजस्थान सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों में निर्धारित मापदण्डों पर आधारित है।

लेखापरीक्षा जांच परिणाम

चयनित इकाइयों के एचएसआरपी सम्बन्धी अभिलेखों/सूचनाओं की संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआः

---

[2] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः बीकानेर और चितौड़गढ़; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः भीलवाड़ा, बून्दी, दूदू, करौली, कोटपूतली और जैसलमेर।

[3] जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बून्दी और कोटपूतली।

[4] ऐसे डीलर जो पंजीयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत थे।

3.4.5 एचएसआरपी योजना के कार्यान्वयन की स्थिति

राज्य सरकार के 28 जून 2012 के आदेश के अनुसार सभी वाहनों पर एचएसआरपी को लगाया जाना आवश्यक था। 15 जुलाई 2012 को या उसके पश्चात पंजीकृत वाहनों पर पंजीकरण के तुरन्त बाद एचएसआरपी लगाई जानी थी। 15 जुलाई 2012 से पूर्व पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में एचएसआरपी लगाने का कार्य 14 जुलाई 2014 को या उससे पहले पूर्ण किया जाना था।

परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 के अनुसार 31 मार्च 2016 तक राज्य में 1.36 करोड़ वाहन पंजीकृत हुए। विभाग द्वारा सूचित (19 मई 2017) किया गया कि 31 मार्च 2016 तक 36.43 लाख वाहनों पर एचएसआरपी लगाई गई थी। ये सभी वाहन अप्रैल 2012 के बाद पंजीकृत हुए थे। इस प्रकार, कुल वाहनों की संख्या के 27 प्रतिशत वाहन ही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये थे।

3.4.5.1 नये पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगाना

निविदा दस्तावेज के क्लॉज 3.3 के अनुसार पंजीयन प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त होने के दो कार्य दिवसों में वाहनों पर एचएसआरपी को लगाया जाना था। इसके अतिरिक्त, परिवहन विभाग के आदेश दिनांक 3 मई 2013 के अनुसार एचएसआरपी को लगाने के बाद ही वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे।

नये पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगाने पर प्लेट की लागत की राशि के 10 प्रतिशत की दर से मैसर्स रियल मैजोन (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड पर परिनिर्धारित शास्ति आरोपित की जानी थी।

परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 के अनुसार 2013-14 से 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा 35.60 लाख वाहनों को पंजीकृत किया गया था। विभाग ने सूचित किया (19 मई 2017) कि 35.56 लाख वाहनों[5] पर एचएसआरपी लगाई गई थी जैसा कि निम्नलिखित तालिका में बताया गया है:

वर्ष	पंजीकृत वाहनों की संख्या (लाख में)	वाहनों की संख्या जिन पर एचएसआरपी लगाई (लाख में)	विचलन (लाख में)
2013-14	11.12	10.90	(-) 0.22
2014-15	11.95	12.54	(+) 0.59
2015-16	12.53	12.12	(-) 0.41
योग	**35.60**	35.56	(-) 0.04

उपर्युक्त तथ्यों से पता चलता है कि चार हजार वाहन बिना एचएसआरपी के चल रहे थे। विभाग उन प्रकरणों का अनुसंधान करें तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगाया जाना सुनिश्चित करें।

नये पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगाने के लिए मैसर्स रियल मैजोन (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड पर परिनिर्धारित शास्ति के आरोपण पर विचार किया जा सकता है।

[5] इसमें 2012-13 के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि कार्य 15 जुलाई 2012 से शुरु किया गया था तथा 15 जुलाई 2012 से पूर्व पंजीकृत वाहनों की संख्या मांगी गई परन्तु विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।

3.4.5.2 दिनांक 15 जुलाई 2012 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी का नहीं लगाया जाना

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28 जून 2012 के द्वारा 15 जुलाई 2012 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की अवधि दो वर्ष निर्धारित की गई थी। इस प्रकार, ऐसे सभी वाहनों पर 14 जुलाई 2014 तक एचएसआरपी लगाना अपेक्षित था।

विभाग द्वारा ऐसे वाहनों पर एचएसआरपी लगाने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके पश्चात, उक्त विषय पर एक जनहित याचिका का निर्णय करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परिवहन आयुक्त को 15 जुलाई 2012 से पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों के लिए एचएसआरपी के लिए कलैण्डर निर्धारित करने के आदेश को जारी करने के निर्देश दिये गये (25 फरवरी 2016)। न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गए कि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक आदेश शीघ्रातिशीघ्र और इस आदेश की प्रति के प्राप्त होने की दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर पारित करें।

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जांच में ज्ञात हुआ कि पांच चयनित कार्यालयों[6] में 15 जुलाई 2012 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी लगाने का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। जिला परिवहन अधिकारी, दूदू द्वारा सूचित किया गया कि 2014-16 के दौरान 84 वाहनों पर एचएसआरपी लगाई गई थी।

3.4.5.3 पंजीयन प्रमाण-पत्रों के नवीनीकरण पर एचएसआरपी का नहीं लगाना

वाहन स्वामियों को वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकार पर्ची[7] जारी की जानी अपेक्षित थी। इस सम्बन्ध में निविदा दस्तावेज में एक प्रपत्र निर्धारित था।

चयनित इकाइयों के प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों द्वारा सूचित किया गया कि वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्रों के नवीनीकरण अर्थात ऐसे वाहन जिनका 15 वर्ष का जीवनकाल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41(7) के अन्तर्गत समाप्त हो चुका था, पर एचएसआरपी लगाने हेतु प्राधिकार पर्ची जारी नहीं की गई। इस प्रकार से वाहनों पर एचएसआरपी को नहीं लगाया जा सका। ऐसे वाहन जिनके पंजीयन प्रमाण-पत्र नवीनीकृत किये गये लेकिन जिन पर एचएसआरपी नहीं लगायी गयी की संख्या विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

3.4.5.4 एम्बोसड एचएसआरपी वाहनों पर नहीं लगाना

लेखापरीक्षा द्वारा ऐसी एचएसआरपी जो कि एम्बोस तो की गई थी लेकिन वाहनों पर नहीं लगाई गई थी से सम्बन्धित सूचना मांगी गयी।

विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना (19 मई 2017) के अनुसार मार्च 2016 के अन्त में

---

[6] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः बीकानेर और चित्तौड़गढ़; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः भीलवाड़ा, जैसलमेर और करौली ।

[7] यह विभाग द्वारा एचएसआरपी स्टेशन को वाहनों पर एचएसआरपी लगाने के लिए अधिकृत करने हेतु जारी पर्ची है।

संविदाकार के पास 35 पंजीयन प्राधिकारी कार्यालयों[8] में 6,005 एम्बोसड एचएसआरपी लगाने हेतु रखी हुई थी। ये एम्बोसड प्लेटें जिस अवधि से सम्बन्धित थी वह अवधि विभाग द्वारा नहीं बताई गई।

इनमें से लेखापरीक्षा द्वारा दो पंजीयन प्राधिकारी (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय बीकानेर एवं चित्तौड़गढ़) के अभिलेखों की मापक जांच की गई और 2014-16 के दौरान प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयों द्वारा पंजीकृत 57 वाहनों के एक सैम्पल का चयन किया और पाया कि 46 वाहनों का पंजीयन एचएसआरपी लगाए बिना किया गया था। इस प्रकार, अन्य मामलों में, एचएसआरपी लगाए बिना पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी होने की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।

मामला, विभाग के ध्यान में लाया गया (जून 2017) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

3.4.6 लेजर कैमरे नहीं लगाया जाना

योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एचएसआरपी की स्कैनिंग के माध्यम से तेज गति/ओवरलोड/चुराये गये वाहनों के फुटेज को पकड़ने के लिए ऑप्टिकल करैक्टर रीडर्स युक्त लेजर डिटेक्टर कैमरे महत्त्वपूर्ण सड़कों और चौराहों पर लगाए जाने थे। इन उपकरणों को राज्य में कहीं भी स्थापित नहीं किया गया था। विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि लेजर कैमरों की स्थापना के लिए कोई रोड़ मैप तैयार नहीं किया गया। इस प्रकार, वाहनों पर एचएसआरपी को लगाने का प्रयोजन पूरा नहीं हो सका।

मामला, विभाग के ध्यान में लाया गया (जून 2017) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

3.4.7 नई निविदा प्रक्रिया का विलम्ब से प्रारम्भ

राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 28 जून 2012 के द्वारा मैसर्स रियल मैजोन (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड को सभी नये और विद्यमान वाहनों पर एचएसआरपी की आपूर्ति और लगाने हेतु अधिकृत किया गया। यद्यपि 15 मई 2017 को उक्त अनुबन्ध समाप्त हो गया था, विभाग द्वारा नये अनुबन्ध के लिए निविदा 30 मई 2017 अर्थात पिछले अनुबन्ध की समाप्ति के 15 दिवस के पश्चात आमंत्रित की गई थी।

इसी दौरान, पूर्व संविदाकार को 31 अगस्त 2017 को समाप्त अवधि तक दो बार (31 मई 2017 और 14 अगस्त 2017) विस्तार प्रदान किया गया। इसके पश्चात राज्य में एचएसआरपी लगाने हेतु किसी भी नई संविदा का निष्पादन नही किया गया (सितम्बर 2017)। विभाग द्वारा 31 अगस्त 2017 के बाद एचएसआरपी लगाने के लिए की गई व्यवस्था की सूचना नहीं दी गई।

[8] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः आबू रोड़, बालोतरा, बांसवाड़ा, बांरा, बाड़मेर, ब्यावर, भीनमाल, भीलवाड़ा (शाहपुरा), भिवाड़ी, चौमूं, धौलपुर, डीडवाना, डूंगरपुर, दूदू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, केकड़ी, कोटपुतली, फलौदी, प्रतापगढ़, नागौर, नौहर, नौखा, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर और सिरोही।

मामला, विभाग के ध्यान में लाया गया (जून 2017) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

3.4.8 मोटर वाहन (न्यू एचएसआरपी) आदेश, 2001 के प्रावधानों और योजना के क्रियान्वयन के लिए हुए अनुबन्ध की अनुपालना नहीं करना

3.4.8.1 एचएसआरपी लगाने में कमियां

मोटर वाहन (न्यू एचएसआरपी) आदेश, 2001 की शर्तें 4(ix) के अनुसार एचएसआरपी, पंजीयन प्राधिकारी के परिसर के बाहर नहीं लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, निविदा दस्तावेज के क्लॉज 3.2(ए) में प्रावधान है कि संविदाकार एचएसआरपी की उचित और आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, पंजीयन प्राधिकारी और ऐसे मोटर वाहन डीलर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पंजीयन प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया हो, के परिसर में या उसके निकट विशिष्ट एम्बोसिंग स्टेशन स्थापित करेगा।

- यह देखा गया कि तीन एम्बोसिंग और एफिक्सेशन स्टेशन[9] पंजीयन प्राधिकारी परिसर से दो से पांच किलोमीटर दूर स्थापित किये थे। यह मोटर वाहन (न्यू एचएसआरपी) आदेश, 2001 की शर्त 4(ix) का उल्लंघन था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि कोई भी एचएसआरपी पंजीयन प्राधिकारी परिसर के बाहर नहीं लगाई जावेगी।

- नौ प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[10] ने परिवहन आयुक्त को सूचित किया कि मैसर्स रियल मैजोन (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड ने परिवहन आयुक्त की अनुमति के बिना अपने कार्यालय को दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया था। इन सभी मामलों में, संविदाकार ने सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को स्थानान्तरण की सूचना नहीं दी। यद्यपि, इन प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों ने यथाविधि परिवहन आयुक्त को सूचित किया था तथापि कोई कार्यवाही होना दर्शित नहीं हुआ। यह 28 जून 2012 के शासकीय आदेश का उल्लंघन था, जिसमें निर्धारित था कि वाहनों पर एचएसआरपी लगाये जाने का कार्य निर्दिष्ट जगहों पर ही किया जावे।

- पंजीयन प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में एचएसआरपी को लगाने के लिए अधिकृत डीलरों की संख्या समझौते की अनुसूची-1 में बताई गई थी। इस अनुसूची को समय–समय पर संशोधित किया गया था। इस अनुसूची में डीलरों के नाम सम्मिलित नहीं थे जो पंजीयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत थे। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय चित्तौड़गढ़ द्वारा बताया गया कि वाहनों के पंजीकरण के लिए पंजीयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी डीलर को अधिकृत नहीं किया गया था।

  चित्तौड़गढ़ जिले के एक डीलर के संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया कि एचएसआरपी मोटर वाहन डीलर द्वारा लगाई जा रही थी। टीम को यह भी बताया गया कि डीलर ने एचएसआरपी स्टेशन से स्नेपलॉक के साथ आवश्यक उपकरण प्राप्त किये थे। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि एम्बोसड एचएसआरपी बड़ी सादड़ी, निम्बाहेड़ा और रावतभाटा स्थित उनके शाखा कार्यालय पर भी लगाने के लिए भेजी जा रही थी। संयुक्त

[9] जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः भीलवाड़ा, दूदू और करौली।

[10] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः भरतपुर; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बालोतरा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, दौसा, हनुमानगढ़, करौली और सवाईमाधोपुर।

निरीक्षण दल द्वारा देखा गया कि स्नेपलॉक के स्थान पर नट-बोल्ट और पुरानी प्लेट पर भी एचएसआरपी लगाई जा रही थी। इस प्रकार, एचएसआरपी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

संविदाकार ने संयुक्त निरीक्षण दल को बताया कि एचएसआरपी स्टेशन से एम्बोसड एचएसआरपी, डीलर को लगाने के लिए कभी-कभी भेजी जाती थी लेकिन लगाने का कार्य उनके द्वारा ही किया जा रहा था।

इस प्रकार तथ्य बताते हैं कि एचएसआरपी निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर लगाई जा रही थी।

3.4.8.2 एचएसआरपी लगाने के कार्य की निगरानी नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों द्वारा एचएसआरपी लगाने के कार्य की निगरानी नहीं की जा रही थी, जिसके परिणामस्वरूप एचएसआरपी लगाने में बहुत सारी कमियां हुई थी। इनमें से कुछ नीचे बताई गई हैं:

- **तीसरी पंजीयन प्लेट स्टीकर्स का नहीं लगाया जाना:** मोटर वाहन (न्यू एचएसआरपी) आदेश, 2001 की शर्त 4(vii) के प्रावधानानुसार एक सेल्फ डेसट्रेक्टिव क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम स्टीकर वाहन की विंड शील्ड के बांये हाथ के कार्नर के अन्दरूनी हिस्से पर लगाया जायेगा। स्टीकर पर विवरण में (i) पंजीयन अधिकारी का नाम (ii) वाहन की पंजीयन संख्या (iii) लेजर ब्रॉन्डेड स्थायी पहचान संख्या (iv) इंजन नम्बर और (v) चैसिस नम्बर सम्मिलित होगा। तथापि सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयों ने सूचित किया कि चयनित सभी कार्यालयों में तीसरी पंजीयन प्लेट नहीं लगाई गई।

- **एचएसआरपी प्रतिस्थापन में विसंगतियां:** मोटर वाहन (न्यू एचएसआरपी) आदेश, 2001 की शर्त 4(xiii) में उल्लेखित है कि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत निर्माता या विक्रेता द्वारा जारी पंजीयन प्लेटों का उचित अभिलेख दैनिक आधार पर रखा जायेगा। इनका मिलान समय-समय पर परिवहन कार्यालय के अभिलेखों के साथ किया जाना था। इसके अतिरिक्त, निविदा दस्तावेज का क्लॉज 2.5.3 प्रावधान करता है कि वाहन स्वामी से, विभाग द्वारा अनुमोदित मदवार दर के अनुसार लागत वसूल होने पर पंजीयन प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ही प्रतिस्थापन किया जावेगा।

  विभागीय अधिकारियों के साथ चयनित छः कार्यालयों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों द्वारा बताया गया कि एचएसआरपी प्रतिस्थापन के लिए वे प्राधिकार पर्ची जारी नहीं कर रहे थे। दल ने पाया कि एक प्रकरण में संविदाकार द्वारा स्वयं ही एचएसआरपी का प्रतिस्थापन किया गया था। संयुक्त निरीक्षण टीम को यह भी सूचित किया गया कि विभाग द्वारा प्राधिकार पर्ची जारी किये बिना एचएसआरपी का प्रतिस्थापन किया गया था। संविदाकार ने प्रतिस्थापन के बारे में विभाग को सूचित नहीं किया था, इसलिए विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर (वाहन) में आवश्यक परिवर्तन नहीं किये जा सके। यह एचएसआरपी योजना के वास्तविक उद्देश्य को विफल करेगा क्योंकि वाहनों को सिस्टम में ढूंढ़ा नहीं जा सकेगा।

- **केन्द्रीयकृत नेटवर्क कनेक्टिविटी टर्मीनल की स्थापना में विलम्बः** अनुबन्ध की शर्त 6(v) के अनुसार 'एम्बोसिंग स्टेशनों, एफिक्सेशन स्टेशनों और प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों के मध्य संयोजन के अतिरिक्त, विभाग को जब भी आवश्यकता हो सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु, संविदाकार, विभाग को, एक्सेस कोड के साथ निर्दिष्ट स्थान पर एक अतिरिक्त नेटवर्क कनेक्टिविटी टर्मीनल (पूरे राज्य हेतु एक केन्द्रीकृत) प्रदान करेगा' । अतिरिक्त परिवहन आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 25 जुलाई 2012 के द्वारा केन्द्रीयकृत नेटवर्क कनेक्टिविटी टर्मीनल की स्थापना के लिए परिवहन आयुक्त कार्यालय में स्थान आवंटित किया लेकिन 43 महीने के विलम्ब के पश्चात इसकी स्थापना 4 जनवरी 2016 को परिवहन आयुक्त कार्यालय के स्थान पर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर कार्यालय में की गई । इसके परिणामस्वरूप एक लम्बी अवधि तक योजना से सम्बन्धित आंकडों तक विभाग की पहुंच नहीं हुई । विभाग योजना की प्रगति पर निगरानी यथार्थ समय के आधार (रियल टाइम बेसिस) पर नहीं कर सका ।

- **लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं करनाः** निविदा दस्तावेज के क्लॉज 3.11.3 के अनुसार संविदाकार की पुस्तकों, परिसरों और कार्य संचालन की जांच के लिए संविदाकार की लागत पर निष्पक्ष लेखापरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार विभाग को था । इसके अतिरिक्त, परिवहन विभाग के परिचालन नियमावली के अनुसार ऐसा लेखापरीक्षक वर्ष में कम से कम एक बार संविदाकार की पुस्तकों और लेखों का लेखापरीक्षण करेगा । यह देखा गया कि कोई लेखापरीक्षक नियुक्त नहीं किया गया था (29 मई 2017) ।

- **प्रचार-प्रसार कार्यक्रमः** अनुबन्ध की शर्त 17 के प्रावधानानुसार एचएसआरपी लगाने की आवश्यकता और उससे सम्बन्धित कानून की जानकारी सामान्य जनता के ध्यान में लाने के लिए परिवहन प्राधिकारियों से अनुमोदित सूचना, शिक्षा, संचार और प्रचार-प्रसार के कार्यक्रम संविदाकार द्वारा आयोजित किये जाने थे । परिवहन आयुक्त द्वारा बताया गया कि मैसर्स रियल मैजोन (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विभाग से न तो कोई स्वीकृति प्राप्त की गई और न ही स्थानीय समाचार-पत्र, स्थानीय समाचार चैनल, आदि के माध्यम से कोई प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किये गये । इसके परिणामस्वरूप योजना की प्रक्रिया, अनुमोदित दरों और अन्य विवरणों के बारे में जनता में जागरूकता का अभाव रहा ।

- **वाहनों का सत्यापन नही करनाः** परिवहन विभाग द्वारा जारी किये गए एचएसआरपी के ऑपरेशनल मैनुअल के अनुसार जिला परिवहन अधिकारी या निरीक्षक/उपनिरीक्षक को यह सुनिश्चित करना था कि एक विशिष्ट एचएसआरपी को उसी वाहन पर लगाया गया हो जिसके लिए बनाई गई । इस सम्बन्ध में उनके द्वारा वाहन का भौतिक सत्यापन किया जाना था । तथापि, जांच किये गए छः प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[11] ने सूचित किया कि वाहनों का जिला परिवहन अधिकारी या निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा ऐसा सत्यापन नहीं किया गया ।

- **प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों द्वारा निरीक्षण नहीं किया जानाः** निविदा दस्तावेज के क्लॉज 3.11.2 के अनुसार पंजीयन प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में

[11] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः बीकानेर और चितौड़गढ़; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः भीलवाड़ा, दूदू, करौली और जैसलमेर ।

संविदाकार के एम्बोसिंग स्टेशन और अन्य ढांचागत व्यवस्था का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार रखता है।

छः चयनित कार्यालयों के प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों ने सूचित किया कि 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान एचएसआरपी स्टेशनों का नियमित रूप से निरीक्षण नहीं किया गया। इस प्रकार, प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय पूर्व अनुच्छेदों में वर्णित विसंगतियों यथा पुरानी प्लेटस पर एचएसआरपी लगाना, स्नेपलॉक के स्थान पर नट-बोल्ट लगाना, बिना प्राधिकार के पुरानी प्लेटों के प्रतिस्थापन से अनजान रहे।

मामला, विभाग के ध्यान में लाया गया (जून 2017) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। उनका उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2017)।

3.4.9 जन शिकायत निवारण प्रणाली में कमी

अनुबन्ध की शर्त संख्या 9 के प्रावधानानुसार पंजीयन प्लेटों की स्थापना और एफिक्सेशन के अनुबन्ध में दिन प्रतिदिन के आधार पर बड़े पैमाने पर जनता सम्मिलित है, जनता के हित के लिए सर्वोतम सेवायें प्रदान करने तथा प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों में, जन शिकायत निवारण प्रणाली कार्यरत रहेगी तथा उसमें प्राप्त होने वाली शिकायतों परिवहन आयुक्त एवं संविदाकार द्वारा जहाँ तक सम्भव हो आवधिक आधार पर प्रबन्धित की जावेगी। इसके अतिरिक्त, निविदा दस्तावेज का क्लॉज 4.15 प्रावधान करता है कि यदि संविदाकार द्वारा अनुबन्ध की किसी या सभी शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य सरकार को अधिकार होगा की वो अनुबन्ध को समाप्त कर दे।

इस प्रकार, अनुबन्ध के अनुसार शिकायतों को आवधिक आधार पर दूर करना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में जन शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की जानी थी। यह देखा गया कि शिकायतों पर ध्यान देने के लिए कोई जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ विकसित नहीं किया गया। यहां तक कि किसी भी चयनित कार्यालय में शिकायत पंजिका संधारित नहीं की गई थी। इसलिए, वाहन स्वामियों को शिकायत दर्ज करने हेतु पर्याप्त एवं उचित मंच प्रदान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, विभाग के सभी स्तरों पर शिकायतों की निगरानी नहीं की गई। हमने पाया कि प्राप्त की गई शिकायतों को बण्डलों के रूप में बांधा गया था। बण्डलों की कुल संख्या लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी। परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा शिकायतों के मात्र दो बण्डल लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये। शिकायतें विभिन्न मुद्दों पर संविदाकार के विरूद्ध विभागीय अधिकारियों/एजेन्सियों[12] को दर्ज कराई गई थी। इनमें से कुछ पर आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

3.4.9.1 दरों से अधिक की वसूली

अनुबन्ध की शर्त 20 यह निर्धारित करती है कि वाहन स्वामियों/ग्राहकों से संविदाकार द्वारा वसूल की जाने वाली राशि किसी भी दशा में अनुमोदित दरों से अधिक नहीं होंगी और दरें वस्तुओं, सेवाओं, करों (सभी), किसी भी अन्य खर्चों की लागत सहित एकमुश्त होगी और

[12] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी/परिवहन आयुक्त, परिवहन मंत्री के साथ ही अन्य जिलों के कलेक्टर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भष्टाचार निरोधक ब्यूरों और ऑनलाईन पोर्टल-मोर्थ (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), ऑनलाईन-प्रधानमंत्री कार्यालय लोक शिकायत, ऑनलाईन सम्पर्क पोर्टल, आदि।

इसके अतिरिक्त कुछ भी वसूल नहीं किया जायेगा । तथापि, दरों को प्रसारित नहीं किया गया और सामान्य जनता को सही दरों के बारे में जानकारी नहीं थी ।

- यह देखा गया कि 29 प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[13] में अधिक दरों की वसूली सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों को परिवहन आयुक्त कार्यालय को भेजा गया था । शिकायतों की संवीक्षा से पता चला कि संविदाकार द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक की वसूली की जा रही थी । जैसा कि नीचे बताया गया है:

विवरण	निर्धारित दरें (₹)	वसूल की गई दर (₹) (रेन्ज)
दो पहिया वाहनों के लिए स्नेपलॉक और फिक्सिंग सहित पंजीयन प्लेट का पूरा सैट	75	100 से 350
स्नेपलॉक सहित पंजीयन प्लेट का पूरा सैट तीसरी पंजीयन प्लेट और फिक्सिंग तीन पहिया वाहनों के लिए (यात्री और माल और निःशक्त वाहन)	96	250 से 350
स्नेपलॉक सहित पंजीयन प्लेट का पूरा सैट तीसरी पंजीयन प्लेट और फिक्सिंग हल्के मोटर वाहन/यात्री कार (ट्रैक्टर को छोड़कर) के लिए	220	300 से 1,320
पंजीयन प्लेट का पूरा सैट पूर्ण स्नेपलॉक के साथ/तीसरी पंजीयन प्लेट ट्रैक्टर के लिए	90	100 से 400
स्नेपलॉक सहित पंजीयन प्लेट का पूरा सैट, तीसरी पंजीयन प्लेट और फिक्सिंग मध्यम वाणिज्यिक वाहनों/भारी वाणिज्यिक वाहनों/ ट्रैलर संयोजन पर लगाने हेतु	232	300 से 800

स्रोतः वसूल की गई दरें प्राप्त की गई शिकायतों से ली गई हैं, जबकि निर्धारित दरें अनुबन्ध में वर्णित हैं ।

इन शिकायतों को सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों द्वारा भी सत्यापित किया गया था । तथापि, आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई । कुछ उदाहरणों का उल्लेख नीचे दिया गया है:

कार्यालय का नाम	शिकायत की प्रकृति	प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, अजमेर	संविदाकार ने हल्के मोटर वाहन (आरजे 01 यूए 7665) से ₹ 220 के स्थान पर ₹ 1,220 वसूल किये थे और वाहन स्वामी को ₹ 1,220 की रसीद दी ।	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय अजमेर के परिवहन निरीक्षक द्वारा शिकायत का अनुसंधान किया गया और उसने बताया कि संविदाकार ने ₹ 1,220 वसूल किये थे । जो कि निर्धारित राशि से ₹ 1,000 अधिक थे । शिकायत को परिवहन आयुक्त को भेज दिया गया ।
जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, भीलवाड़ा	हल्के मोटर वाहन (आरजे 06 सीसी 4417) से ₹ 220 के स्थान पर ₹ 920 वसूल किये और वाहन स्वामी को ₹ 920 की रसीद दी गई थी ।	शिकायत को परिवहन आयुक्त को प्रेषित कर दिया गया ।

[13] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चितौड़गढ़, दौसा, जोधपुर, कोटा और सीकर; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बालोतरा, बाड़मेर, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, धौलपुर, हनुमानगढ़, जगतपुरा, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, करौली, नागौर, नोहर, रामगंजमण्डी, श्री गंगानगर, सवाईमाधोपुर, सुजानगढ़ और टोंक ।

- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय टोंक में स्थापित एम्बोसिंग स्टेशन के विरूद्ध अधिक राशि वसूलने, सबलेटिंग, अनावश्यक देरी आदि के लिए मामला (एफआईआर नम्बर 1/2015) दायर किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तथ्यो की पुष्टी की । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक ने शासन सचिव सह-आयुक्त परिवहन विभाग को सूचित किया कि मैसर्स रियल मैजोन (राजस्थान) प्राइवेट लिमिटेड एचएसआरपी लगाने के लिए अधिक वसूली कर रहा है और कम्पनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिये प्रस्तावित किया। तथापि, विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।
- लेखापरीक्षा और विभागीय अधिकारियों ने जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय जैसलमेर के दो पहिया डीलर के संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया कि संविदाकार द्वारा एचएसआरपी की आपूर्ति जोधपुर स्टेशन से की गई और इस श्रेणी की 499 प्लेटों की आपूर्ति के लिए ₹ 37,425 (₹ 75 प्रति प्लेट) के स्थान पर ₹ 92,315 (₹ 185 प्रति प्लेट) वसूल किये। इसके अतिरिक्त स्थानीय एम्बोसिग स्टेशन से 100 प्लेट की आपूर्ति ₹ 225 प्रति प्लेट की दर से की। इस प्रकार संविदाकार वाहन पंजीयन के लिए उत्तरदायी डीलर से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल कर रहा था।

3.4.9.2 दर सूची की अनुपस्थिति

अनुबन्ध की शर्त 19 के अनुसार संविदाकार सभी एफिक्सेशन स्टेशनों पर एचएसआरपी और प्रतिस्थापन वस्तुओं की अनुमोदित दरों को ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करेगा, जो कि जनता को दिखाई दे और अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित दरों से ही सही-सही वसूली करेगा। संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एचएसआरपी दरों को बीकानेर एवं करौली में एचएसआरपी स्टेशनों पर प्रदर्शित नही किया गया था। इसी प्रकार, चयनित कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में डीलरों के परिसर में स्थित चयनित सभी आठ एफिक्सेशन स्टेशनों[14] में यह प्रदर्शित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, 13 एम्बोसिंग स्टेशनों[15] पर दर सूची को प्रदर्शित नहीं करने की शिकायतों को सत्यापन पश्चात सही पाने पर सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों द्वारा परिवहन आयुक्त को प्रेषित किया गया था। दर सूची की अनुपस्थिति में भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी वाहन स्वामियों को नहीं थी।

मामला, विभाग के ध्यान में लाया गया (जून 2017) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

3.4.10 एचएसआरपी लगाने में विलंब

निविदा दस्तावेज के क्लॉज 3.3 के अनुसार एचएसआरपी लगाने की समय सीमा पंजीयन प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त होने से दो कार्य दिवस है। इसके अतिरिक्त, अनुबन्ध की शर्त संख्या 21(iii) बिना अनुमति के 48 घण्टे से अधिक कार्य के निलम्बित रहने पर विभाग

[14] मै. विनोद ऐजेन्सी भीलवाड़ा, मै. आकाशदीप ऐजेन्सी भीलवाड़ा, मै. जगदम्बा मोटर्स हिण्डोन सिटी करौली, मै. श्रीराम मोटर्स ऐजेन्सी जैसलमेर, मै. गणेश मोटर्स दूदू, मै. भारत ट्रैक्टर्स बीकानेर, मै. राजाराम धर्निया बीकानेर और मै. ऑडि मोटर्स बीकानेर।

[15] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः अजमेर, बीकानेर और सीकर; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः भिवाड़ी, बारां, बाड़मेर, करौली, जालौर, जैसलमेर, रामगंजमण्डी, श्री गंगानगर, सवाईमाधोपुर और सुजानगढ़।

को अनुबन्ध को समाप्त करने और नई एजेन्सी को नियुक्त करने की शक्ति देती है।

- शिकायत पत्रावलियों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पांच जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[16] के क्षेत्राधिकार में स्थापित एम्बोसिंग स्टेशन तीन से 30 दिनों तक बन्द रहे थे। सम्बन्धित परिवहन अधिकारियों ने स्टेशनों के निरीक्षण के बाद परिवहन आयुक्त को तथ्यों की जानकारी दी सभी पांच मामलों में कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया।

- यह देखा गया कि चार कार्यालयों[17] के क्षेत्राधिकार में स्थापित चार एचएसआरपी स्टेशनों पर एचएसआरपी को लगाने में विलम्ब से सम्बन्धित शिकायतों का अनुसंधान किया गया। तथ्यों को सही पाया गया और विलम्ब की अवधि 10 दिन से तीन माह थी। सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों ने इस तथ्य को परिवहन आयुक्त को प्रतिवेदित किया लेकिन संविदाकार के विरूद्ध कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया।

मामला, विभाग के ध्यान में लाया गया (जून 2017) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

3.4.11 एचएसआरपी स्टेशनों की अनियमित सबलेटिंग

शिकायतों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 52 एचएसआरपी स्टेशनों[18] में से 12 एचएसआरपी स्टेशनों[19] की सबलेटिंग की विभिन्न प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों को शिकायतें प्राप्त हुई थी। सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों द्वारा तथ्यों का अनुसंधान किया गया और शिकायतों को परिवहन आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में प्रथम शिकायत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर द्वारा 6 दिसम्बर 2013 को अग्रेषित की गई। इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा सबलेटिंग के तथ्य का अनुसंधान किया गया (टोंक में दर्ज एफआईआर नम्बर 1/2015) और तथ्यों की पुष्टि के पश्चात, फर्म को ब्लैक लिस्ट करने एवं लापरवाही के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने की अनुशंषा की गई। कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया।

मामला, विभाग के ध्यान में लाया गया (जून 2017) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2017)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

---

[16] जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः हनुमागढ़, जैसलमेर, करौली, नोहर और सिरोही।

[17] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः बीकानेर (10 से 20 दिन) और जोधपुर (तीन महीने); जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बाड़मेर (22 दिन) और दौसा (22 दिन)।

[18] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चितौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः आबूरोड़, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, भीनमाल, भिवाड़ी, बूंदी, चौमू, चूरू, डीड़वाना, धोलपुर, दूदू, डुंगरपुर, श्री गंगानगर, हनुमागढ़, जयपुर–झालाना, जयपुर–जगतपुरा, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनू, करौली, केकड़ी, किशनगढ़, कोटपूतली, नागौर, नोहर, नोखा, फलौदी, प्रतापगढ़, राजसमन्द, रामगंजमण्डी, सवाईमाधोपुर, शाहपुरा (जयपुर), शाहपुरा (भीलवाड़ा), सिरोही और सुजानगढ़।

[19] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः बीकानेर और जोधपुर; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः ब्यावर, भीलवाड़ा, दौसा, धोलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, करौली, कोटपुतली, श्रीगंगानगर और टोंक।

3.4.12 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभाग ने राज्य में एचएसआरपी योजना को आंशिक रूप से क्रियान्वित किया क्योंकि 15 जुलाई 2012 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी नही लगाई गई थी । तीसरी पंजीयन प्लेट स्टीकर भी नहीं लगाए गए थे । इसके परिणामस्वरूप राज्य में इस योजना को सीमित सफलता मिली । एचएसआरपी की स्कैनिंग के माध्यम से तेज गति/ओवरलोड/चुराये गए वाहनों के फुटेज को पकड़ने के लिए ऑप्टीकल करैक्टर रीडर्स युक्त लेजर डिटेक्टर कैमरे महत्वपूर्ण सड़कों और चोराहों पर स्थापित नहीं किये गए । इसके परिणामस्वरूप वाहनों पर एचएसआरपी लगाने का उद्देश्य विफल हो गया । शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप विभाग के सभी स्तरों पर शिकायतों की निगरानी नहीं की गई । प्रचार कार्यक्रमों की कमी और दर सूची को प्रदर्शित नहीं करने के परिणामस्वरूप योजना की प्रक्रिया, स्वीकृत दरों और अन्य विवरणों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने का अभाव रहा । एचएसआरपी के प्रतिस्थापन के मामलों में विभाग और संविदाकार के मध्य समन्वय का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप विभाग के सिस्टम तथा संविदाकार के सिस्टम के डेटा का मिलान नहीं हुआ । केन्द्रीयकृत नेटवर्क कनेक्टिविटी टर्मिनल बहुत विलम्ब के बाद स्थापित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लम्बी अवधि तक एचएसआरपी सम्बन्धी आंकडों तक विभाग की पहुंच नही हुई और विभाग द्वारा योजना की प्रगति की यथार्थ समय पर निगरानी नहीं की जा सकी ।

यह अनुशंषा की जाती है कि सरकार सभी वाहनों पर एचएसआरपी को लगाने और आदेश, अनुबंध और निविदा दस्तावेजों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें । सरकार एचएसआरपी योजना और उसके उददेश्यों के बारे में प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से योजना के लाभों और प्रक्रियाओं के अतिरिक्त, दरों और अन्य विवरणों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक व्यापक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम प्रारम्भ करने पर भी विचार कर सकती है । राज्य सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निवारण हेतु एक विशिष्ट पोर्टल स्थापित करना, विभाग और संविदाकार के मध्य उचित समन्वय सुनिश्चित करना ताकि दोनों के डेटा को बेमेल होने से रोका जा सके, समस्त एफिक्सेशन स्टेशनों पर दर सूची प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाना और लेजर डिटेक्टर कैमरों को स्थापित करना चाहिए ।

3.5 एकमुश्त कर की बकाया किस्तों की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-सी के अन्तर्गत सभी परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं[20] के अनुसार निर्धारित दरों से किया जायेगा। एकमुश्त कर का भुगतान वाहन स्वामी के विकल्प के अनुसार सम्पूर्ण एक साथ अथवा तीन समान किश्तों में 13 जुलाई 2014 तक और 14 जुलाई 2014 से छः समान किश्तों में एक वर्ष में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 9 मार्च 2015 की अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2007 को या उसके पश्चात राज्य में पंजीकृत अथवा जोड़े गये परिवहन वाहनों को अनिवार्य रूप से एकमुश्त कर का भुगतान 1 अप्रैल 2015 से करना होगा एवं 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार कर पर 10 प्रतिशत अधिभार भी देय है।

23 प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[21], के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के अभिलेखों की मापक जांच में यह देखा गया (अक्टूबर 2016 और मार्च 2017 के मध्य) कि 4,289 वाहनों के सम्बन्ध में 378 वाहन स्वामियों द्वारा एकमुश्त कर का भुगतान किश्तों में करने का विकल्प दिया था। इन वाहन स्वामियों ने प्रथम अथवा द्वितीय किश्त का भुगतान करने के पश्चात शेष किश्तों का भुगतान नहीं किया। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि शेष 3,911 वाहन स्वामियों द्वारा कर के भुगतान में चूक की थी। वाहन सॉफ्टवेयर या कर खातों या पंजीयन अभिलेखों में कहीं भी यह प्रविष्टि नहीं पायी गयी जिससे प्रकट हो कि वाहन स्वामियों में से किसी ने किश्तों में भुगतान किये जाने हेतु कोई विकल्प का प्रयोग किया हो या वाहन अन्य राज्यों को स्थान्तरित कर दिये गये हो। तथापि, कराधान अधिकारियों ने देय कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त कर की राशि ₹ 18.08 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई।

मामला विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2016 और जून 2017 के मध्य) विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि 314 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 1.45 करोड़ वसूल किये जा चुके हैं। शेष वाहनों के सम्बन्ध में उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

3.6 मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 और 4-बी तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार सभी मोटर वाहनों जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा उपयोग हेतु रखे गये हों, पर मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जाता है सिवाय उन वाहनों को छोड़कर जिन्होने धारा 4-सी के अन्तर्गत एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुना हो। इसके अतिरिक्त दिनांक 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार कर पर पांच प्रतिशत की दर से अधिभार भी देय है।

[20] अधिसूचनाः 22 दिनांक 16 फरवरी 2006, 22-ए दिनांक 9 मार्च 2007 और 22-सी दिनांक 14 जुलाई 2014।

[21] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः अजमेर, अलवर, बीकानेर, चितौड़गढ़, दौसा, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीनमाल, चूरू, दूदू (जयपुर), डूंगरपुर, झालावाड़, झुंझुंनू, करौली, कोटपूतली, नागौर, राजसमन्द, श्री गंगानगर और टोंक।

नौ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयों[22] एवं 14 जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[23] के 2013-14 से 2015-16 की अवधि के पंजीयन अभिलेखों, कर खातों एवं सामान्य सूची पंजिकाओं की मापक जांच के दौरान पाया गया (अक्टूबर 2016 और मार्च 2017 के मध्य) की 4,945 वाहनों के सम्बन्ध में वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2013 से मार्च 2016 की अवधि के लिये कर का भुगतान नहीं किया गया। अभिलेखों में इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं पाया कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे या अन्य जिले/राज्यों को स्थानान्तरित कर दिये गये थे। तथापि कराधान अधिकारियों ने राज्य सरकार को देय बकाया कर की वसूली के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शायेनुसार कर व अधिभार राशि ₹ 16.13 करोड़ की अवसूली/कम वसूली रही:

क्र.सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	कर की अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कार्यालय का नाम जहाँ अनियमिततायें पायी गयी
1	भार वाहन	1,290	अप्रैल 2013 से मार्च 2016	2.56	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, दौसा, जोधपुर, कोटा, एवं उदयपुर। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बाड़मेर, करौली, कोटपुतली एवं टोंक।
2	संविदा वाहन (चालक को छोड़कर 13 व्यक्तियों तक की की बैठक क्षमता वाले)	1,675	अप्रैल 2013 से मार्च 2016	1.99	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः चित्तौड़गढ़, दौसा एवं पाली। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर कोटपुतली, नागौर एवं टोंक।
3	संविदा वाहन (चालक को छोड़कर 13 व्यक्तियों से अधिक की बैठक क्षमता वाले)	100	अप्रैल 2014 से मार्च 2016	2.38	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः जोधपुर, पाली, एवं उदयपुर। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बाड़मेर, झुन्झुनू एवं श्री गंगानगर।
4	मंजिली वाहन	482	अप्रैल 2013 से मार्च 2016	3.66	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः जोधपुर, एवं उदयपुर। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बाड़मेर, चूरू, दूदू, जयपुर (मंजिली वाहन), झुन्झुनू, करौली, नागौर एवं श्री गंगानगर।
5	संलग्नक भार वाहन	576	अप्रैल 2014 से मार्च 2016	1.81	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः अजमेर, बीकानेर, चितौड़गढ़, जोधपुर एवं उदयपुर। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बाड़मेर, केकड़ी एवं कोटपुतली।
6	बिना अनुज्ञापत्र के यात्री वाहन	58	अप्रैल 2014 से मार्च 2016	1.00	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः जोधपुर। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बाड़मेर, जयपुर (मंजिली वाहन), झुन्झुनू, एवं कोटपुतली।
7	डम्पर/टिप्पर	764	अप्रैल 2013 से मार्च 2016	2.73	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः अजमेर, अलवर, बीकानेर, चितौड़गढ़, जोधपुर, कोटा, पाली एवं उदयपुर। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बाड़मेर, झालावाड़, झुन्झुनू, कोटपुतली, नागौर एवं टोंक।
योग		**4,945**		**16.13**	

[22] प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयः अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, दौसा, जोधपुर, कोटा, पाली एवं उदयपुर।

[23] जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बांसवाड़ा, बाड़मेर, चुरू, दूदू, डूंगरपुर, जयपुर (मंजिली वाहन), झालावाड़, झुन्झुनू, करौली, केकड़ी, कोटपुतली, नागौर, श्री गंगानगर एवं टोंक।

मामला विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2016 और जून 2017 के मध्य); विभाग ने अवगत कराया (सितम्बर 2017) कि 541 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 1.30 करोड़ की वसूली की जा चुकी है और 286 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 0.83 करोड़ एकमुश्त कर आदि जमा कराये जाने के कारण वसूलनीय नहीं है। वाहन सॉफ्टवेयर या संधारित पंजिकाओं में बकाया से सम्बन्धित प्रविष्टियां दर्ज नहीं करने के कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताये गये। शेष प्रकरणों में वसूली की प्रगति की रिपोर्ट प्रतीक्षित रही (नवम्बर 2017)।

3.7 बेड़ा स्वामी द्वारा विशेष पथकर को विलम्ब से जमा करवाने पर शास्ति/अधिभार की अवसूली

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 में प्रावधान किया गया है कि समस्त करों का अग्रिम भुगतान किया जावेगा। बेड़ा स्वामी के मामले में विशेष पथकर का भुगतान प्रत्येक महीने की 14 तारीख या इससे पहले किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान किया गया है कि यदि निर्धारित अवधि में वाहन का देय कर भुगतान नहीं किया गया तो बकायादार को देय कर के अतिरिक्त, विलम्ब से भुगतान पर 1.5 प्रतिशत शास्ति प्रति माह या उसके भाग के लिये भुगतान करना होगा।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर के वर्ष 2015-16 के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान देखा गया (जनवरी 2017) कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 के लिये देय कर एवं अधिभार राशि ₹ 47.63 करोड़ दो से तीन माह के विलम्ब से जमा/समायोजित करवाये। अतः कर एवं अधिभार के विलम्ब से भुगतान पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा शास्ति देय थी। तथापि, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा शास्ति राशि ₹ 1.59 करोड़ जमा नहीं करवाये गये। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों में ऐसा कोई इन्द्राज नहीं पाया गया जिससे यह प्रकट हो कि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण एवं वसूली हेतु कोई प्रयास किया गया हो।

मामला विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2017 और जून 2017 के मध्य); विभाग ने अवगत कराया (सितम्बर 2017) कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से वसूली हेतु प्रयास शुरू किये जा रहे हैं।